(वाद संख्या–5201/17)

25.10.2019

परिवादी, काजल कुमारी की ओर से बख्तियारपुर थाना कांड सं0–185/2017 के प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कराने हेतु आवेदन दिया गया।

उक्त के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन कांड में तीन अभियुक्तों, 1. धर्मवीर कुमार उर्फ वीर कुमार 2. जय कृष्ण राय व 3. भोला देवी की संलिप्तता को सत्य पाया गया है तथा मामला अभी अनुसंधानान्तर्गत है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इस कांड के पूर्व एक चंदना देवी के लिखित आवेदन पर धर्मवीर कुमार उर्फ वीर कुमार, उसके पिता जय कृष्ण राय व भोला देवी के विरूद्ध बख्तियारपुर थाना कांड सं0–158/17 संस्थित किया गया था तथा बख्तियारपुर थाना कांड सं0–158/17 एवं कांड सं0–185/17 एक दूसरे का प्रतिलोम कांड है।

प्रसंगाधीन बख्तियारपुर थाना कांड सं0– 185/17 के अनुसंधानान्तर्गत रहने के कारण अनुसंधान के संबंध में कोई भी निर्देश/ आदेश दिया जाना उचित नहीं है। परिवादी अगर अनुसंधान से असहमत हों तो वह विधिनुसार न्यायालय में याचिका दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है। आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>